भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2518
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सीवर लाइनें

2518. श्री जितेंद्र दोहरेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास सीवर लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कोई सीवर लाइन नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार सीवर लाइन और जल उपचार संयंत्र की सुविधाएं विकसित करने का है, क्योंकि इटावा नगर पालिका और लगभग दो लाख की आबादी वाले जिला मुख्यालय में अभी तक सीवर लाइन और जल उपचार संयंत्र नहीं लगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(ग) इस परियोजना के लिए अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने आकलन किया है कि इटावा शहर से अनुपचारित अपशिष्ट जल सीधे नदियों को प्रदूषित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गंदे पानी को नदियों में जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने खुली नालियों और ठहरे हुए अपशिष्ट जल के कारण फैलने वाली बीमारियों से निपटने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जल राज्य का विषय है, शहरी क्षेत्रों में लागू मानकों के अनुसार जल और जल निकायों की गुणवत्ता का प्रबंधन तथा रखरखाव राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न दिशानिर्देशों को जारी करके और राष्ट्रीय मिशनों अर्थात अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल के स्थायी प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

अमृत और अमृत 2.0 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित यूएलबी में परियोजनाओं को डिजाइन करने, प्राथमिकता देने, अनुमोदित करने और लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की भूमिका केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं और राज्य जल कार्य योजनाओं को अनुमोदित करना तथा मिशन दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार केंद्रीय अंश जारी करना है। अमृत के तहत, इटावा शहर में 0.91 करोड़ रुपये की लागत वाली एक सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं और 18 करोड़ रुपये की लागत से 2 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सभी 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अमृत 2.0 के तहत, इटावा जिले द्वारा प्रस्तुत 352.05 करोड़ रुपये की 8 जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

*****